FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम..........

मुलाराम बनाम मूलाराम वगैरा

किस्म मुकदमा दावा 88,188 Rt Act नं. 212 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.12.19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम भारद्वाज ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88,188 Rt Act राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 8.01.2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
8/1/2020	वादी वकील उप०। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी द्वारा वकालतनामा मय इकबाली जवाबदावा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं 2 से 7 के सम्मन तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं 2 से 7 बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई, अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई। प्रतिवादी सं 2 से 7 स्वयं या उसकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उसके विरुद्ध एक[illegible] अमल मे लाई जाती है। [illegible] द्वारा वादी साक्ष्य के रूप मे [illegible] (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	कुम्भसिंह चौधरी नरेश शंकरलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:05:03 IST
Reason: SelfAttested

के शपथ पत्र तथा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप
का शपथ पत्र पेश किया। जिसे शामिल पत्रावली
गया। वादी वकील की बहस सुनी गई। वादी को
स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर
शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री पर्चा जारी होकर
पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज रजिस्टर हो कर बाद
दाखिल दफ्तर हो

सहायक कलेक्टर
(SDO)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:05:03 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 212/2019

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. मुलाराम पुत्र भुराराम 2. नरेश कुमार पुत्र भुराराम जातियान्–जाट, निवासीयान्–हुडों की ढाणी, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर		1. भुराराम पुत्र जेठाराम 2. पदमाराम पुत्र जेठाराम 3. खीयाराम पुत्र खेताराम 4. विशनाराम पुत्र खेताराम 5. घमाराम पुत्र खेताराम 6. नथूदेवी पत्नी खेताराम जातियान्–जाट, निवासी–हुडों की ढाणी, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर 7. शाख प्रबन्धक एस.बी.आई. बायतु

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :
1. श्री खेताराम जाखड़ वकील वादीगण
2. श्री कुम्भसिंह चौधरी वकील प्रतिवादी

–: निर्णय :– दिनांक 08/01/2020

वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी की पैतृक कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा हुडों की ढाणी पटवार मण्डल अकदड़ा तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 87, 88, 89, 92 रकबा क्रमशः 37.04, 51.06, 28.16, 30.14 बीघा, मौजा हेमजी का पाना पटवार मण्डल अकदड़ा के खेत खसरा नम्बर 286 रकबा 11.00 बीघा व मौजा लाधोणियों की ढाणी पटवार मण्डल अकदड़ा के खेत खसरा नम्बर 715, 727, 733 रकबा 48.12, 20.09, 37.17 बीघा में आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या एक ही पूर्वज जेठाराम के वंशज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उतराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः [illegible] भूमि में प्रत्येक

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:05:03 IST
Reason: SelfAttested

।ण प्रतिवादी संख्या 1 के 1/3 हिस्से के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है एवं
।स हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

पक्षकारान् को सुना गया एवं वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र व स्वतंत्र गवाह पेश किये गये तथा प्रतिवादी द्वारा उपस्थित होकर, इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए, वादग्रस्त भूमि में वादीगण को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रतिवादी का इकबाली जवाब शामिल पत्रावली कर, वादीगण एवं प्रतिवादी को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा जेठाराम के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण जेठाराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में वादीगण सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा हुडों की ढाणी पटवार मण्डल अकदड़ा तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 87, 88, 89, 92 रकबा क्रमशः 37.04, 51.06, 28.16, 30.14 बीघा, मौजा हेमजी का पाना पटवार मण्डल अकदड़ा के खेत खसरा नम्बर 286 रकबा 11.00 बीघा व मौजा लाधोणियों की ढाणी पटवार मण्डल अकदड़ा के खेत खसरा नम्बर 715, 727, 733 रकबा 48.12, 20.09, 37.17 बीघा में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के 1/3 हिस्से के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा पूर्व की भांती संबंधित बैंक में रहन रहेगा। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

विवेक व्यास
8.1.2020

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:05:03 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादी**

1. मुलाराम पुत्र भुराराम वगैरह — 1. भुराराम पुत्र जेठाराम वगैरह

<u>दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

राजस्व वाद संख्या–212/19. **निर्णय दिनांक :–**

वादी की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 08.01.2020 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर, बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा हुडों की ढाणी पटवार मण्डल अकदड़ा तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 87, 88, 89, 92 रकबा क्रमशः 37.04, 51.06, 28.16, 30.14 बीघा, मौजा हेमजी का पाना पटवार मण्डल अकदड़ा के खेत खसरा नम्बर 286 रकबा 11.00 बीघा व मौजा लाधोणियों की ढाणी पटवार मण्डल अकदड़ा के खेत खसरा नम्बर 715, 727, 733 रकबा 48.12, 20.09, 37.17 बीघा में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के 1/3 हिस्से के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा पूर्व की भांती संबंधित बैंक में रहन रहेगा। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 08.01.2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

विवेक व्यास 8/1/2020

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:05:03 IST
Reason: SelfAttested